(Authoritative English Text of this department notification NoSJE-A(3)6/2008, dated 25th May, 2009 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

> Government of Himachal Pradesh Department of Social Justice & Empowerment.

No. SJE-A(3)6/2008, dated, Shimla-2

the

25th May,2009

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recruitment & Promotion Rules for the post of Private Secretary, Class-I(Gazetted)Ministerial Services in the Department of Social Justice and Empowerment, Himachal Pradesh as per Annexure-A attached to this notification, namely:-

Short title and Commencement; 1(1)These rules may be called the Himachal Pradesh, Social Justice & Empowerment Department, Private Class-I(Gazetted)Ministerial Services, Recruitment and Promotion, Rules, 2009

> (2) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.

> > By order Pr. Secretary(SJ&E)to the Govt. of Himachal Pradesh.

Endst. No. NoSJE-A(3)6/2008, dated, Shimla-2 Copy to.

the 25th May,2009

- 1. Administrative Secretaries (Personnel/Finance/Law) to the Govt. of Himachal Pradesh, Shimla-2
- 2. Controller, Printing & Stationery Deptt., H.P., Shimla-5 for publication in the Govt. Gazette.
- 3. Director, Social Justice & Empowerment, H.P., Shimla-9. She is requested procure five copies of the Rajpatra from Printing and Stationery Department.
- 4. The Sr. Law Officer, Law Deptt. (Hindi) H.P. Secretariat Shimla-2.
- 5. Guard file/ 50 spare copies.

Under Secretary(SJ&E)to the Govt. of Himachal Pradesh

Annexure-A

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF Private Secretary, GAZETTED CLASS-I IN THE DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT, HIMACHAL PRADESH.

1. Name of the Post: Private Secretary

2. Number of posts 01 (one)

3. Classification CLASS-I (GAZETTED) Ministerial Services.

4. Scale of pay (be given in 7220-220-8100-275-10300-340-11660 expanded notation)

5. Whether Selection or Non-Non-Selection.

Selection post:

6. Age for direct recruitment; Not Applicable.

7. Minimum Educational qualification and other qualifications required for direct recruits;

a) ESSENTIAL QUALIFICATION: N.A.

(b) DESIRABLE QUALIFICATIONS: N. A.

8. Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees:

Age:-----N.A Educational qualification--- N.A.

9. Period of probation, if any;

Two years subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.

10. Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation/transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods.

100% by promotion failing which on secondment basis.

11. In case of recruitment by promotions, deputation, transfer grade from which promotion/ deputation/ transfer is to be made;

By Promotion from amongst the Personal Assistants who possess 05 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered, if any, in the grade failing which from amongst the Personal Assistants who possess 11 years regular service or regular combined with continuous adhoc service rendered if any in the grade as Senior Personal Assistant and Scale Stenographers combined out of which 02 years essential service as Personal Assistant failing both from amongst the Senior Scale

Stenographers who possess 16 years regular service OR regular combined with continuous adhoc service as Senior Scale Stenographer and Junior Scale Stenographer combined which shall include 4 years essential service as Senior Scale Stenographer failing all on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scales in other H.P. Government Departments.

Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve atleast one term in the Tribal/ difficult areas subject to adequate number of posts(s) available in such areas:

Provided further that the proviso(I)supra shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation.

Provided further that Officers/Officials who have not served at least one tenure in Tribal/difficult area shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her seniority in the respective cadre.

Explanation I: For the purpose of proviso I supra the "term" in Tribal/Difficult areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrative requirements and performance of the employee.

Explanation II: For the purpose of proviso I supra the Tribal/Difficult Areas shall be as under:-

- 1.District Lahaul & Spiti
- 2.Pangi and Bharmour Sub Division of Chamba District.
- 3.Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division.
- 4. Pandrah Bis Pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat, Gram Panchayats of Rampur Tehsil of District Shimla.
- 5.Pandrah Bis Pargana of Kullu District.
- 6.Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub Division of Kangra District.
- 7. District Kinnaur.
- 8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau Sub Tehsil, Bhaladh Bhalona and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai Tehsil, in Sirmour District.
- 9.Khanyol-Bagra Patwar Circle of Karsog Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, Somgad and Kholanal of Bali Chowki Sub Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Silh-Badhwani, Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni, Kalipar, Mangarh, Thach-Bagra, North

Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Bawara Patwar Circle of Sunder Nagar Tehsil in Mandi District.

In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the conditions that the adhoc appointment /promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of Recruitment and Promotions Rules,

In all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his total length of service (including the service rendered on adhoc basis followed by regular service appointment) in the feeder post in view of the provisions referred to above all persons senior to him in the respective category/ post/ cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years or that prescribed in the Recruitment and Promotion Rules for the Post, whichever is less;

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbents ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible persons happened to be ex-servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilised Armed Forces Personnel (Reservation of Vacancies in Himachal State Non- Technical Services), Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there under or recruited under the provisions of Rule-3 of Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Himachal Pradesh Technical services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation continuous adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of Recruitment and Promotion Rules;

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12. If a Departmental Promotion As may be constituted by the Government from time Committee exists, what is its to time. composition:

13.Circumstances under which As required under the law. the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment;

14.Essential requirement for N.A. direct recruitment;

15. Selection for appointment to N.A.

post by direct recruitment. 16.Reservation

17. Departmental Examination.

18. Powers to Relax:

The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for scheduled castes/Sch. Tribes/ Other Backward Classes/ Other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.

Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P.Departmental Examination Rules, 1997.

Where the State Government. is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing, in consultation with the HPPSC, relax any of the provisions of these Rules with respect to any class or category of persons or posts.

हिमाचल प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

संख्याः एस.जे.ई.— ए(3)6 / 2008 तारीख शिमला—2 25 मई, 2009

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुछेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निजी सचिव,वर्ग—I(राजपत्रित)लिपिकी वर्गीय सेवाएं के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध —'क' के अनुसार भर्ती और प्रोन्नित नियम,बनाती हैं, अर्थात्:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

1.(1)इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, निजी सचिव,वर्ग—I(राजपत्रित)लिपिकी वर्गीय सेवाएं भर्ती और प्रोन्नित नियम, 2009 है। (2)ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

आदेश द्वारा,

प्रधान सचिव(सामाजिक . न्याय एवं अधिकारिता. विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार ।

पृष्ठांकन संख्याःएस. जे. ई. .(3)6 / 2008 तारीख शिमला—2 25 मई, 2009

- 1.प्रशासनिक सचिव(कार्मिक / वित्त / विधि विभाग), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला—2। 2.नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हि.प्र., शिमला.5 कोअसाधारण राजपत्र में प्रकाशन करने हेतू एवं उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन के उपग्रन्त राजपत्र की पांच प्रतियां इस विभाग को भिजवाने की कृपा करें।
- 3.निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश शिमला.9 को तथा उनसे अनुरोध है कि मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग से राजपत्र की पांच प्रतियां प्राप्त करने की कृपा करें।
- 4. सहायक विधि परामर्शी एवं अवर सचिव(विधि)हिमाचल प्रदेश सरकार, ।
- 5. संरक्षण नस्ति/अतिरिक्त प्रतियां ।
- 6. वरिष्ठ विधि अधिकारी राजभाषा खण्ड(Π .)विधि विभाग, हि. प्र.सचिवालय शिमला-2

अवर सचिव(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग.) हिमाचल प्रदेश सरकार

उपाबन्ध.क

हिमाचल प्रदेश, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में निजी सचिव,वर्ग $\overline{-I}$ (राजपत्रित)लिपिकी वर्गीय सेवाए के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नित नियम।

1. पद का नाम निजी सचिव।

2. पदों की संख्याः 1(एक)।

3. वर्गीकरण वर्ग-I(राजपत्रित)लिपिकी वर्गीय सेवाएं

4. वेतनमान 7220-220-8100-275-10300-340-11660 रूपए।

5. चयन पद अथवा अचयन पदः अचयन पद।

6. सीधी भर्ती के लिए आयु लागू नहीं :

7.	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शौक्षक और अन्य अर्हताएं	
8		आयु : लागू नहीं शौक्षेक अर्हताः लागू नहीं
9.		दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी, विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।

10.	भर्ती की पद्वतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	शतप्रतिशत प्रोन्नित द्वारा ऐसा न होने पर सैकेण्ड मैंट आधार पर ।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां(ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानान्तरण किया जाएगा	निजी सहायकों में से प्रोनिन्त द्वारा, जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलत करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक में से प्रोन्नित द्वारा, जिसका निजी सहायक और विष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्त रूप में ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सिम्मिलत करके ग्यारह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की सेवा अनिवार्य है, दोनों के न होने पर विष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और किनष्ठ वेतनमान आशुलिपिक का संयुक्त रूप में सोलह वर्ष का नियमित सेवाकाल या कि गई लगातार तदर्थ सेवा को सिम्मिलत करके सोलह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें विरष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में चार वर्ष की सेवा अनिवार्य है, इन सभी के न होने पर हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में समतुल्य वेतनमान में कार्यरत इस पद के पदधारियों में से सैकण्ड मैंट के आधार पर।

परन्तु प्रोन्निति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को, जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को , जिन्होंने जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण । उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" से साधारणतया तीन वर्ष की अविध या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा किए गए

कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण ।। उपर्युकत परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :-

- 1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
- 2. चम्बा जिला का पांगी व भरमौर उप-मण्डल ।
- 3. रोहडू उप-मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
- 4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट।
- 5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।
- 6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र।
- 7. जिला किन्नौर ।
- 8. सिरमौर जिला में उप—तहसील कमरउ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़—भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत।
- 9. मण्डी जिले में करसोग तहसील का खन्योल —बगड़ा पटवार वृत, बाली चौकी उप—तहसील के गाड़ा गोसाई, मिठयानी, घिनयाड़, थाची, बागी, सोमगाड़ और खोलानाल , पद्धर तहसील के झाड़वाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, द्वैला, रोपा, कथोग,सिलह भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेड़ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच— बगड़ा, उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत।
- (1)प्रोनन्ति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नित के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नित, भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात की गई थी:

परन्तु उन सभी मामलों में, जिनमें कोई किनष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल(तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सिहत, जो नियमित सेवा/ नियुक्ति के अनुसरण में हो)के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने—अपने प्रवर्ग/ पद /काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति, विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय किनष्ठ व्यक्ति से उपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नित के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नित नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएगे ।

स्पष्टीकरण :— अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत किनष्ट पदधारी प्रोन्नित के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि विरष्ट अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल(रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज, 1972 के नियम—3 के उपबन्धों के अर्न्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1985 के नियम —3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हो ।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों में, ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व की सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नित उचित चयन के पश्चात् और भर्ती एवं प्रोन्नित नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

जैसी सरकार द्वारा समय समय पर गठित की जाए।
जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।
लागू नहीं ।
लागू नहीं ।
सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर
अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों /अन्य पिछडे वर्गों
और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत
जारी किए गए अनुदशों के अधीन होगी ।
सेवा में प्रत्येक सदस्य को, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा
नियम, 1997 में यथाविहित विभागीय परीक्षा पारित करनी होगी ।
जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या
समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके,
और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश
द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्तियों
के प्रवर्ग या पदों की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।